ग्राम पंचायत, जामना, विकास खण्ड पांवटा साहिब ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-1

1. **(क) प्रस्तावनाः-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, **ग्राम पंचायत, जामना, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर** के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः-

प्रधानः-

क्रमांक	प्रधान का नाम	कार्यकाल
1	श्रीमती रज्जो देवी	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्री विनकेश धीमान	23.01.2016 से अद्यतन

सचिवः-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री प्रताप चौहान	01.04.2014 से 20.08.2014
2.	श्री परमानन्द शर्मा	21.08.2014 से 25.10.2014
3.	श्री प्रताप चौहान	26.10.2014 से 10.02.2015
4.	श्री परमानन्द शर्मा	11.02.2015 से 03.06.2016
5.	श्री प्रताप चौहान	04.06.2016 से 01.08.2016
6.	श्री परमानन्द शर्मा	02.08.2016 से 20.09.2016
7.	श्री प्रताप चौहान	21.09.2016 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः- ग्राम पंचायत जामना, के लेखाओं का अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः-

पैरा नं	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि
5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना	0.07
7(क)	गृहकर की शेष वसूली	0.10
7(ख)	गृहकर की कम वसूली	0.05

7(ग)	मोबाइल टावर फीस की शेष वसूली	0.08
8	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	20.24
9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना किया गया व्यय	5.23
10	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक प्रविष्टि न करना	--------
11	जे.सी.बी चार्जीस का अनियमित भुगतान	0.40
13(क)	मनरेगा, रोकड़ बही में दर्ज राशी से Online अधिक भुगतान	9.05
13(ख)	मनरेगा, तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना किया गया अनियमित आहरण/भुगतान	18.50
14(क)	वास्तविक व्यय से अधिक राशि का आहरण	0.80
15	तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना मस्टर रोल्स की राशि का भुगतान	1.15
16	बिना बिल/वोचेर्स के राशि का आहरण	0.49

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत जामना, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक **13.11.17 से 18.11.17** को ग्राम पंचायत जामना के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है;

वर्ष	**माह**	
	आय	**व्यय**
2014-15	08/2014	12/2014
2015-16	04/2015	11/2015
2016-17	07/2016	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत जामना, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा**

विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/पांवटा साहिब/2017-18-13 दिनांक 18 /11/2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जामना से अनुरोध किया गया है।

4 **वित्तीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत, जामना द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत जामना के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	320464.63	42710.00	363174.63	21214.00	341960.63
2015-16	341960.63	72072.00	414032.63	11456.00	402576.63
2016-17	402576.63	102409.80	504986.43	35059.00	469927.43

नोट:- ग्राम पंचायत, जामना की स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि खाते में ही जमा करवाया गया है व निधि का प्राम्भिक शेष **(परिशिष्ट–1 A)** के अनुसार पृथक से निकाल रखा है जिसके अनुसार 31.3.2014 को निधि का शेष ₹320464.63 दर्शाया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्व: स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर **खाता "क"** में रखे जाने का प्रावधान है | अतः स्व: स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत जामना के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न {**परिशिष्ट-** 2 व **2 A**} मे भी दिया गया है।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	722366.66	3153315.00	3875681.66	2774329.00	1101352.66
2015-16	1101352.66	2161297.00	3262649.66	1726711.18	1535938.48
2016-17	1535938.48	4229323.00	5765261.48	3741756.00	2023505.48

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है|

5 **रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना :-**

(क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार **₹7568** का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	469927.43	1
2.	अनुदान	2023505.48	2
3.	समेकित वितीय स्थिति के अनुसार शेष	2493432.91	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	**3185481.91**	4
5.	**कुल अन्तर**	**692049.00**	
6.	BRS **{468941+215676+15000}**	699617.00	**5**
7.	**शेष अन्तर {6-5}**	**7568.00**	

विभिन्न अनुदानों के बैंक खातों में दिनांक 31.03.2017 को जमा राशि का ब्यौरा (परिशिष्ट–4)

नं	अनुदान	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	31.03.2017
1.	सामान्य निधि	HPSCB, KAMRAU	57010101010	2886757.91
		-----do------	57010101004	23101.00
2.	BRGF	-----do------	57010101727	96410.00
3.	MANREGA	-----do------	57010101196	----------
4.	IAY	-----do------	57010101011	57837.00
5.	AAY/RGAY	-----do------	57010101650	120923.00
	बचत बैंक खातों में जमा कुल राशि			**3185028.91**
	सावधि जमा निवेश (सामान्य निधि)			-----------
	हस्तगत शेष (सामान्य निधि)			**453.00**
	01.04.2014 और 31.03.2017 को कुल शेष राशि			**₹3185481.91**

(ख) रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण नहीं किया जानाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई **रोकड़ बहियों** तथा **खाताबहियों** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बही का संधारण रोजनामचे की तरह किया जा रहा है अर्थात इसमें न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। **इसी कारण सामान्य निधि का खाता**

31.03.2017 को ₹7568 का अन्तर है जिस बारे पंचायत सचिव अंकेक्षण के दौरान कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सके| ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ बही एवं खाताबहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए।

6 स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत जामना को गत तीन वर्षों में स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत को स्व: स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण गृहकर व अन्य करों की समय पर वसूली न करना तथा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित न करना है क्योंकि इन करों/शुल्कों से सम्बंधित निर्धारित दरें अंकेक्षण द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं की गई| सचिव ग्राम पंचायत जामना के पत्र क्रमांक **GPJ/17-18-2 दिनांक 16/11/2017 (परिशिष्ट–6)** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न करों व शुल्कों की अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित दरों से वसूली की गई है**:**

क्रमांक	**आय के स्त्रोत**	**दर**	**विवरण**
1.	विवाह पंजीकरण शुल्क	200/-	पंजीकरण 30 दिन के भीतर
		400/-	पंजीकरण 90 दिन के भीतर
2.	प्रमाण पत्र शुल्क	10/-	------------
3.	सम्पति कर (गृहकर)	20/-	2014-15
		20/-	2015-16
		20/-	2016-17
4.	दुकान का किराया	1000/-	प्रतिमाह
5.	मोबाइल टावर्स शुल्क	4000/-	**एयरटेल- स्थापित -08/2011**
		2000/-	**आईडिया- वर्ष 2013– 14**

7 स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय की निरन्तर वसूली न करना :-

(क) गृहकर ₹0.10 लाख वसूली हेतु शेष

सचिव ग्राम पंचायत जामना द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/पांवटा साहिब/जामना/2017-18-3 दिनांक 13/11/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक:GPJ/17-18-2 दिनांक 16/11/2017 के क्रमांक: 2 द्वारा गृहकर की दिनांक 31/03/2017 को गृहकर की **₹10,140{ परिशिष्ट- 6}** वसूली योग्य शेष थी, अतः उक्त की शीघ्र वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए| राशि का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है ;

वर्ष	**कुल परिवार**	**वार्षिक दर**	**कुल कर**	**प्राप्त राशि**	**शेष राशि**
2014-15	488	20/-	9760/-	9760/-	------
2015-16	488	20/-	9760/-	9760/-	------
2016-17	507	20/-	10140/-	-------	10140/-

गृहकर की वसूली योग्य राशि	**29660/-**	**19520/-**	**10140/-**

(ख) गृहकर की ₹0.05 लाख की कम वसूली बारे:-

अंकेक्षण अवधि के दौरान उपरोक्त पैरा में वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में गृहकर की ₹19,520{9760+9760} की वसूली दर्शायी गई है जबकि रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त अवधि में निम्नतालिकानुसार ₹**14,020** गृहकर के रूप में प्राप्त हुए है, अतः उपरोक्त सुचना में गृहकर की दर्शायी गई ₹**19,520** . की वसूली सही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि रोकड़ बही के अनुसार वास्तव में प्राप्त राशि तथा उपरोक्त तालिका में दर्शायी गई वसूली कि राशि में ₹**5,500 {19,520-14,020}** का अन्तर है | अतः यह परामर्श दिया जाता है की गृहकर की उक्त वसूली से सम्बन्धित अभिलेख की पुनः जाँच कर ₹**5,500** की कम वसूली बारे में वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए| यदि उक्त वसूली अंकेक्षण आपत्ति अनुसार कम पाई जाती है तो उसकी वसूली उचित स्त्रोत से कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

वर्ष 2014-15 व् 2015-16 में रोकड़ बही अनुसार गृहकर की वसूली गई राशि का ब्यौरा

माह	**गृहकर वसूली गई राशि (₹)**	**रोकड़ पृष्ठ**
08/2014	100/-	27
04/2015	6720/-	44-45
05/2015	320/-	49
06/2015	320/-	49-50
07/2015	160/-	51
08/2015	160/-	51-53
09/2015	4480/-	53
10/2015	1520/-	54
12/2015	160/-	59
O2/2016	80/-	61
	14020/-	

(ग) मोबाइल टावर फीस की ₹0.08 लाख वसूली हेतु शेष:-

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त पत्र के **क्रमांक: 3** पर दर्शायी गई सुचना के अनुसार दिनांक 31/03/201 7 को पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थापित **आईडिया** कम्पनी के **(अतिरिक्त एन्टिना)** मोबाइल टावर का वर्ष **2013-14** से नियमानुसार स्थापना व् नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹**7,800** योग्य शेष थी **परिशिष्ट-6** अतः उक्त राशि को सम्बन्धित कम्पनी से वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

सचिव, ग्राम पंचायत जामना द्वारा आय की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में उपरोक्त प्राप्त होने वाली आय के सम्बन्ध में

वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता| अतः उपरोक्त आय की राशि की शीघ्र अतिशीघ्र वसूली की जाए, साथ ही, पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये| इसके अतिरिक्त भविष्य में **“मांग एवं वसूली पंजी”** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि तुरन्त ज्ञात हो सके|

8 अनुदान ₹20.24 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध कारवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-2}** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹20,23,505** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये|

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.23 लाख के स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व ₹50,000 से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके| जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा निविदा/कोटेशन्स आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है| परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय/व्यय किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उक्त नियमों कि अवहेलना कर पंचायत द्वारा चयनित माह में क्रय की गई कुछ मदों/व्यय भुगतान का ब्यौरा **{परिशिष्ट- 7}** संलग्न में दिया गया है|

10 **क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की प्रविष्टि न करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है | ग्राम पंचायत जामना के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि नियमनुसार अपेक्षित थी | अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा संलग्न (**परिशिष्ट- 8)** में दिया गया है |

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए |

11 **जे.सी.बी चार्जीस ₹0.40 लाख का अनियमित भुगतान:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **₹40,000** का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5)(a)व(b) के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य है | जबकि नियम 67(3) के अनुसार उक्त कार्यो हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत द्वारा जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए| **इसके अतिरिक्त जे.सी.बी** द्वारा **करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक** द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्तिथि में जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान तर्कसंगत व् उचित था नहीं कहा जा सकता| अतः सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे.सी.बी द्वारा करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतियां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतियां की जानी अपेक्षित थी |

(क) आयकर 2%

(ख) सेल्स टैक्स 3%

(ग) प्रतिभूति राशि 10%

(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटौतियां को सम्बंधित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

जे.सी.बी चार्जिज ₹40,000 के भुगतान का विवरण

क्रमांक	फर्म/ठेकेदार का नाम	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य के घंटे	दर प्रति घंटा ₹	कुल भुगतान₹
सामान्य निधिः- {MLA} निर्माण सम्पर्क मार्ग निचला माशू					
1.	राहुल शर्मा, बनोर	119/ 05.07.16	25	800/-	20000/-
2.	------do------	120/----do----	25	800/-	20000/-
				कुल अदायगी	**₹40000/-**

12 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारेः-

(क) अंकेक्षण अवधि में निष्पादित किये गए विकास कार्यों की सूचि प्रदान न करनाः-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Paonta Sahib/Jamna/2017-18-2 दिनांक 13.11.2017 (परिशिष्ट–9) द्वारा पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पूर्ण/प्रगति पर चल रहे विकास कार्यों के बारे जो सुचना मांगी गई वह अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसकी अनुपस्थिति में विकास कर्यों पर खर्च राशि का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण सम्बन्धी जाँच नहीं की जा सकी, की उक्त अवधि में विकास कार्यों हेतु किया गया राशि का आहरण/व्यय भुगतान सम्बन्धित कार्य हेतु स्वीकृत राशि से अधिक तो नहीं था और किया गया व्यय भुगतान तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार सही था अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी| अतः उक्त सुचना को तैयार/प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उसे पुर्णतः तैयार कर सम्बन्धित अभिलेख के साथ आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

(ख) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित **प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र** इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनकी अनुपस्थिति में निर्माण कार्यों पर खर्च किये गये लाखों रूपये के व्यय का माप पुस्तिकाओं तथा सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार पुर्णतः जाँच नहीं की जा सकी| जिससे विकास कार्यो पर दर्शाया गया व्यय प्राक्कलन व् अधिकारिक अनुमोदन के

अनुसार सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति ज्ञात हो सकी| अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके|

13 **मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च राशी से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-**

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही में दर्ज राशी से ₹9.05 लाख का Online अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों पर किये गए भुगतान की राशि बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय की राशि से **₹9,05,299** अधिक है| उक्त **Online** भुगतान की गई राशि तथा रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशी में उपरोक्त अन्तर बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये, अधिक भुगतान पाए जाने की स्थिति में उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर पंचायत निधि/सम्बन्धित कोष में जमा किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये| उक्त अन्तर/अधिक भुगतान का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;

वर्ष	रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय	चेक द्वारा किया गया भुगतान	रोकड़ बही के अनुसार कुल ऑन लाइन भुगतान	फाइनेंसियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान	अन्तर अधिक भुगतान (₹)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) [2-3]**	**(5)**	**(6) [5-4]**
2014-15	1535023	3805	1531218	1540196	8978/-
2015-16	669384	---------	669384	1451938	782554/-
2016-17	1309893	---------	1309893	1423660	113767/-
कुल	**3514300**	**3805**	**3510495**	**4415794**	**905299/-**

(ख) निर्माण कार्यो को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना किया गया ₹18.50 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च राशि का भुगतान **सक्षम तकनीकी प्राधिकारी** से मूल्यांकित करवाए बिना ही किया गया है, जोकि अनियमित है| अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: GP (Audit) /Paonta Sahib/ Jamna/ 2017-18 -2 दिनांक 13.11.2017 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पूर्ण/प्रगति पर चल रहे कार्यों पर कुल खर्च राशि व् उनके मूल्यांकन बारे सूचना मांगी गई थी, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत, जामना के पास उक्त सूचना उपलब्ध न होने के कारण उनके पत्र

क्रमांक:GPJ/17-18-5 दिनांक 18/11/2017 { परिशिष्ट-9} के माध्यम से केवल चयनित माह में खर्च राशि की जो सूचना प्रदान की गई उसके अनुसार चयनित **12/2014** में **₹7,85,242** तथा माह **03/2017** में **₹10,65,098** का व्यय भुगतान दर्शाया गया है| उक्त भुगतान के मूल्यांकन से सम्बन्धित **माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनके अभाव में उक्त कार्यों पर दर्शाया गया व्यय/भुगतान सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी| अतः उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त कार्यों को सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाना सुनिश्चित किया जाए| मूल्यांकन उपरान्त यदि व्यय भुगतान मूल्यांकन से अधिक पाया जाता है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(ग) जॉब कार्ड संख्या HP-10-003-090-0164900/02 वितीय वर्ष 2015-16 के दौरान नियमानुसार निर्धारित 100 दिनों से अधिक का रोजगार प्रदान कर ₹810 का अधिक भुगतान;-

मनरेगा योजना के अन्तर्गत चयनित माह में व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि माह 11/2015 में **भूमी सुधार मन्शी राम पुत्र सेवा राम वार्ड नं-4** के कार्य में मस्टर रोल संख्या:1433 {कार्य अवधि 01/10/2015 से 15/10/2015} **कार्ड होल्डर बाबु राम के जॉब कार्ड संख्या HP-10-003-090-0164900/2** पर वितीय वर्ष 2015-16 में योजना की शर्तों के अनुसार निर्धारित 100 दिनों से 5 दिन अधिक का रोजगार प्रदान कर **₹162** की दर से **₹810** का अधिक भुगतान किया गया ही जिस बारे जाँच कर स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूल किया जाए|

14 व्यय से सम्बन्धित अनियमिततायें:-

(क) निर्माण कार्य सराय शिरगुल देवता मन्दिर के नजदीक जामना में ₹0.80 लाख का अधिक भुगतान कर, आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त कार्य में सामान्य निधि की रोकड़ बही के पृष्ट संख्या: 95 पर दिनांक 10.03.2017 को चेक संख्या 637354 द्वारा श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री जीत सिंह को खच्चर जोड़ी द्वारा कार्य स्थल से सम्पर्क मार्ग जामना तक 20 दिनों तक मिट्टी ढुलान करने हेतु 1000 प्रतिदिन के हिसाब से ₹**1,00,000** का भुगतान दर्शाया गया है जोकि वास्तविक देय राशि से ₹**80,000** ₹1,00,000-(20x1,000)=₹8,0000} अधिक है, अतः उक्त बारे जाँच कर स्थिति स्पष्ट की जाए, तथा भुगतान अधिक पाए जाने की स्थिति में उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए|

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त कार्य को न्यूनतम बाजार दर पर करवाने हेतु नियमानुसार निविदाएँ {Tenders} आमन्त्रित नहीं किये गए थे, उक्त राशि का भुगतान एक सादे कागज पर कच्ची रसीद तैयार करके किया गया है, व उक्त भुगतान प्राक्कलन व्

तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार सही था अथवा नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि इस बारे भी कोई अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में उक्त भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसे सक्षम प्राधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(ख) निर्माण कार्य गन्दे पानी की निकासी नाली ग्राम माशू वार्ड नं-6 हेतु क्रय सामग्री पर ₹2,500 का अधिक भुगतान:-

उपरोक्त कार्य हेतु श्री सुनील ट्रेडर्स ग्राम दुगाना कफोटा से उनके बिल संख्या 289 दिनांक द्वारा **₹2,99,935 की निर्माण सामग्री का क्रय दर्शाया गया है| उक्त बिल में क्रम संख्या 1 पर 25 length PVC pipes 4 inch size @ 800/-** each ₹20,000. की जगह ₹22,500 के हिसाब से जोड़ा गया है जोकि वास्तविक देय राशि से **₹2,500** अधिक है अतः उक्त बिल की जाँच कर अधिक भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(ग) निर्माण सामग्री का एक अवधि तथा एक स्थान/दूरी पर दो विभिन्न दरों से क्रय दर्शाकर ₹6,800 का अधिक भुगतान:-

(i). अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम माशु में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु **टौंस नदी से ग्राम माशु** तक रेत व् बजरी की आपूर्ति का भुगतान निम्नतालिकानुसार दो विभिन्न दरों **₹40**प्रति बैग तथा **₹50.** प्रति बैग के हिसाब से दर्शाया गया है जोकि तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता| अतः **₹40** की न्यूनतम दर होते हुए **₹50**प्रति बैग की दर की गई खरीद संदिग्ध तथा अनियमित प्रतीत नहीं होती है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा निम्नानुसार अधिक भुगतान की गई **₹6,800** को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

निर्माण सामग्री:- रेत व् बजरी			**स्थान:- टौंस नदी से ग्राम माशु**			
सामान्य निधि (TSC, 13th FC, 14th FC,MLA)						
दिनांक	**कार्य का नाम**	**विक्रेता का नाम**	**बिल नं**	**मात्रा**	**दर**	**अधिक भुगतान**
10.03.17	**नि. कूड़ादान माशु**	**सुनील चौहान**	**72**	**80 बैग**	**50/-**	**800/-**
19.03.17	**टैंक दयाल सिंह**	**-----do-----**	**68**	**390 बैग**	**40/-**	**----**
31.01.17	**P/W रास्ता माशु**	**-----do-----**	**71**	**400 बैग**	**50/-**	**4000/-**
02.03.17	**वर्षा शालिका माशु**	**कँवर सिंह**	**129**	**200 बैग**	**50/-**	**2000/-**
19.03.17	**पक्की गली माशु**	**सुनील चौहान**	**73**	**750 बैग**	**40/-**	**----**
09.03.17	**टैंक लायक राम माशु**	**कँवर सिंह**	**154**	**390 बैग**	**40/-**	**----**
					राशि का अधिक भुगतान	**6800/-**

(ii) निर्माण कार्य **गंदे पानी की निकासी ग्राम जामना वार्ड नं-3** हेतु श्री सुनील ट्रेडर्स ग्राम दुगाना कफोटा से उनके बिल संख्या 288 दिनांक 22/03/2017 द्वारा **10 length PVC pipes 4 inch size @ 960/-** each का क्रय दर्शाया गया है जबकि उक्त विशिष्टता

(specification) की पाइप उक्त विक्रेता से उपरोक्त पैरा (14 ख) के अनुसार`800. प्रति पाइप के हिसाब से क्रय की गई है इस प्रकार उक्त खरीद पर ₹160प्रति पाइप के हिसाब से 10 पाइप की खरीद पर ₹960 का अधिक भुगतान हुआ है जिस बारे जाँच कर स्थिति स्पष्ट की जाए, अधिक भुगतान पाए जाने की स्थिति में राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(घ) विक्रेता द्वारा **अप्रैल माह में जारी किये गए बिलों का मार्च माह में भुगतान कर ₹1.25 लाख का देय तिथि से पूर्व अनियमित आहरण:-**

अंकेक्षण के दौरान माह 03/2017 में व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नतालिकानुसार ₹**1,24,896** का भुगतान विक्रेता द्वारा जारी बिलों की तिथि तथा उक्त व्यय बिलों को पंचायत/प्रधान द्वारा सत्यापित व् पारित करने पूर्व दर्शाया गया है| क्योंकि राशि के देय होने से पूर्व तथा व्यय भुगतान को नियमानुसार पारित करवाने से पूर्व धनराशि का आहरण अनियमित है अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सरकारी कोष से राशि का आहरण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए|

सामान्य निधि				
निर्माण सराय शिरगुल मंदिर के नजदीक जामना				
बिल नं /दिनांक	**विक्रेता का नाम**	**बिल की राशि**	**भुगतान का ब्यौरा**	**रोकड़ पृष्ठ**
3751/01.04.17	शांति तोमर पांवटा	28255/-	Ch.No.859656 dtd.24.03.2017	102
3752/01.04.17	------do------	29400/-		102
3753/01.04.17	------do------	28203/-	------do------	102
3754/01.04.17	------do------	14148/-	------do------	102
निर्माण सार्वजनिक रास्ता /दीवार माशु				
0062/17.04.17	HPSCS, पांवटा	24890/-	------do------	102
कुल भुगतान		**124896/-**		

15 सक्षम प्राधिकारी व तकनीकी प्राधिकारी से सत्यापित व मूल्यांकित करवाए बिना ₹1.15 लाख के मस्टर रोल्स की राशि का भुगतान:-

चयनित माह में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नतालिकानुसार विभिन्न विकास कार्यों पर मस्टर रोल्स पर करवाए कार्य को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना ही ₹**1,14,576** भुगतान किया गया है, क्योंकि न तो इन पर करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई और न ही इनके मुल्यांकन से सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारी **द्वारा** की गई कोई प्रविष्टि(सत्यापित) उक्त मस्टर रोल्स पर दर्ज थी, व भुगतान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी **द्वारा** इनका आकलन व मुल्यांकन कर लिया गया था इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त मस्टर-रोल्स पर करवाए गए कार्यो का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से मुल्यांकन करवाया जाए| यदि भुगतान की गई राशि मुल्यांकन से अधिक पाई जाती है तो उसे उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा किया जाए तथा भविष्य में

मस्टर-रोल्स बिल्स की अदायगी से पूर्व उन्हें सक्षम तकनीकी प्राधिकारी **द्वारा** सत्यापित/मूल्यांकित करने तथा सतर्कतता समितियों **द्वारा** कार्य के सही एवं पूर्ण होने बारे सत्यापित करने के उपरान्त ही उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए| उपरोक्त का विस्तृत ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है

मस्टर रोल अवधि	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	राशि (₹)	रोकड़ पृष्ट
सामान्य निधि, माह 03/2017				
01.02.17 to 28.02.17	नि. सारे शिरगुल मंदिर के पास	18740	63000/-	95
	नि. पक्का रास्ता गड़ापा खाला	18742	29400/-	96
	नि.पक्की गली अमर सिंह के घर तक	18739	22176/-	98
कुल राशि			**114576/-**	

16 बिना बिल/वाउचर के ₹0.49 लाख का आहरण/आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह में किये गए व्यय भुगतान का रोकड़ बही में बिल/ वाउचर के साथ मिलान करने पर पाया गया कि निम्नतालिकानुसार **₹48,844** का आहरण/भुगतान खर्चे से सम्बन्धित बिल वाउचर के बिना ही किया गया है क्योंकि उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख **(बिल/रसीद)** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में दर्शाया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए| भुगतान वास्तविक/उचित न पाए जाने की स्थिति में आहरित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए|

सामान्य निधि				
दिनांक	**चेक नं**	**विवरण**	**राशि**	**CBP**
10.03.17	864445	HPSCS 60 बैग्स सीमेंट	18,668/-	94
10.03.17	637363	सुरेश कुमार 800 ईंटें/सरिया	8,000/-	97
24.03.17	859660	मस्टर रोल्स 18722 RTGS	22,176/-	103
कुल भुगतान			**₹48844/-**	

17 ब्याज की ₹40,595 विकास खण्ड अधिकारी, पांवटा साहिब को वापसी (Refund) की पुष्टि न होना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा IAY** के बचत खाते पर अर्जित ब्याज की **₹40,595** {₹35,039 दिनांक 30/03/2015 को तथा ₹5,556 दिनांक 15/06/2016} को विकास खण्ड अधिकारी पांवटा साहिब को दर्शाई गई वापसी की अंकेक्षण के दौरान पुष्टि नहीं की जा सकी क्योकि उक्त राशि के विकास खण्ड अधिकारी, पांवटा साहिब के खाते मे जमा होने से सम्बंधित कोई भी रसीदें/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये| अतः राशि के उक्त स्थानान्तरण से सम्बन्धित रसीदें/अभिलेख आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ताकि उक्त राशि के सही खाते में जमा होने की पुष्टि हो सके|

18 सावधि जमा में राशि का निवेश न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत जामना के सामान्य निधि **(स्वः स्त्रोत)** के खाते में अवधि 01/04//2014 से 31/03/2017 के दौरान औसतन 3 से 4.5 लाख **{परिशिष्ट- 1}** तक की शेष राशि थी| जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग अगले 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को पंचायत में इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश कर पंचायत के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जा सकता है| इस प्रकार निधि को सुविनियोजित ढंग से प्रयोग/निवेश न करने के कारण निधि को ब्याज के रूप में निरंतर नुकसान हो रहा है। यदि बैंक में जमा राशि को पंचायत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि को **अल्प अवधि की सावधि जमा योजना (STDR)** में निवेश किया जाता तो उक्त निधि को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन हो सकता था।

अत: पंचायत सचिव को इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जायें ताकि भविष्य में पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन हो सके|

19 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

20 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर |
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |

7. प्राक्कलन,तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर|
9. स्टेशनरी रजिस्टर|
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर|
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर|
12. इन्वेंटरी रजिस्टर|

21 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक **6 माह** बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये | स्टॉक सूचि **परिशिष्ट-10** पर संलग्न है|

22 लघु आपत्ति विवरणिका:-

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त: हस्ताक्षरित न किया गया हो | अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक

को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/-
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्याः- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)19/2018 खण्ड-1-2843-2846 दिनांक25.04.2018 शिमला-09

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत जामना, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881